न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

<u>पीठासीन अधिकारी– राजीव बडगूजर (आर.ए.एस.)</u>

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
84 / 2024	23.05.2024	10.06.2024

अनवान

1. कंचन पत्नी सोहनलाल जाति काछी आयु वयस्क निवासी काछीयाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. कन्हैयालाल दत्तक पुत्र बगतीराम जाति काछी आयु वयस्क निवासी काछीयाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. धनराज पिता हरलाल जाति काछी आयु वयस्क निवासी काछीयाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
4. धापुबाई पत्नी कन्हैयालाल जाति काछी आयु वयस्क निवासी काछीयाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
5. भवानीराम पुत्र सोहनलाल जाति काछी आयु वयस्क निवासी काछीयाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
6. लीला पुत्री सोहनलाल जाति काछी आयु वयस्क निवासी काछीयाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

प्रार्थीगण

बनाम

1. कस्तुरी बाई पत्नी बगतीराम जाति काछी आयु वयस्क निवासी काछीयाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. गिरधारी पुत्र भगवान लाल जाति काछी आयु वयस्क निवासी काछीयाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. रतनी पत्नी देवीलाल जाति काछी आयु वयस्क निवासी काछीयाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
4. बगतीराम पुत्र चुन्ना जाति काछी आयु वयस्क निवासी काछीयाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़। (विलोपित)
5. भोरीलाल पुत्र हरलाल जाति काछी आयु वयस्क निवासी काछीयाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
6. सोहन पुत्र भैरा जाति काछी आयु वयस्क निवासी काछीयाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
7. हिरा पुत्र भैरा जाति काछी आयु वयस्क निवासी काछीयाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
8. लक्ष्मण पुत्र रामा जाति काछी आयु वयस्क निवासी काछीयाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
9. चम्पा पुत्र उदेराम जाति काछी आयु वयस्क निवासी काछीयाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़। (विलोपित)
10. प्रभु पुत्र उदेराम जाति काछी आयु वयस्क निवासी काछीयाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
11. भूमिधारी तहसीलदार कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Badgujar
Date: 2024.09.04 11:48:25 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थीगण

उपस्थितिः– अधिवक्ता श्री सुरेश चन्द्र शर्मा — प्रार्थीगण
एकतरफा — अप्रार्थीगण

–:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम::–

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा काछीयाखेडी पटवार हल्का बालारडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074–2077 के खाता संख्या 253 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 145, 148, 154 कुल किता 03 कुल रकबा 1.22 हैक्ट0 कृषि भूमि प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है, और अप्रार्थीगण आराजियात जैर–बहस के पडोसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा–चिन्ह स्थापित किया जावें। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। आज दिनांक 10.06.2024 को अप्रार्थी सं0 1 से 3, 5 से 8 तथा 10 के बाजवूद सूचना के हाजिर नहीं आने से उक्त अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। वकील प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 4 व 9 के विरूद्ध आदेशिका पर हस्ताक्षर कर कार्यवाही नहीं चाहने से कार्यवाही ड्रॉप की गयी। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र को एक तरफा सुना गया। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थीगण अपनी आराजीयात की पत्थरगढी कराना चाहते है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजीयात जैर–बहस की नपती करा पत्थरगढी कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम मे प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार सह काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्र्तगत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार कपासन को पत्थरगढी कराने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार कपासन को आदेश दिया जाता है कि मौजा काछीयाखेडी पटवार हल्का बालारडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074–2077 के खाता संख्या 253 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 145, 148, 154 कुल किता 03 कुल रकबा 1.22 हैक्ट0 कृषि भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर पत्थरगढी किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार कपासन को 1000/– रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमि[illegible] प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार कपासन को तहरीर जारीकरें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Badgujar
Date: 2024.09.04 11:48:25 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें। निर्णय आज दिनांक 10.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजीव बडगूजर)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन